12.07 hrs.

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

29th and 30th Reports

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (Chirayinkil): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice:

(1) Twenty-ninth Report on Public Grievances Redressal Mechanism; and

(2) Thirtieth Report on constraints being faced by Kendriya Bhandar.

12.08 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(I) National Land Records Modernization Programme (NLRMP)

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में यह परिकल्पना की गई है कि "राजस्व प्रशासन को पूर्णत: आधुनिक बनाया जायेगा तथा स्पष्ट भूमि स्वामित्वाधिकार तैयार किये जायेंगे।" इस प्रावधान पर अग्रेतर कार्रवाई करते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ व्यापक एवं गहन परामर्श के पश्चात् राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) तैयार किया गया। मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त, 2008 को हुई अपनी बैठक में एन.एल.आर.एम.पी. को अनुमोदित कर दिया है।

2. एन.एल.आर.एम.पी. का मुख्य उद्देश्य आधुनिक, व्यापक एवं पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वामित्व की गारंटी के साथ निश्चायक भूमि स्वामित्वाधिकार प्रणाली को लागू करना है।

3. यह केन्द्र प्रायोजित योजना होगी, जिसके निम्नलिखित घटक होंगे:

(1) भू-कर मानचित्रों के अंकीकरण सहित भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, लिखित तथा स्थानिक आंकड़ों का समेकन, तहसील और राज्य स्तर पर आंकड़ा केन्द्र स्थापित करना, राजस्व कार्यालयों को अंत:सम्बद्ध करना।

(2) आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकल्पों का प्रयोग करके सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण करना तथा सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभिलेखों को अद्यतन करना।

(3) राजस्व कार्यालयों के साथ उप-पंजीयक के कार्यालयों को अंत:संबद्ध करने के साथ-साथ पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण करना।

(4) तहसील स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबंधन केन्द्र स्थापित करना।

(5) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

(6) मूल भौगोलिक सूचना प्रणाली।

4. एन.एल.आर.एम.पी. की कुल पूंजीगत लागत (केन्द्र और राज्य के भाग) 5656.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

5. कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन की इकाई जिला होगा। एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत देश के सभी जिलों को 12वीं योजना के अंत तक शामिल किया जाएगा।

6. राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न संघटकों के लिए राज्य के भाग को पूरा करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत विनिर्धारित सभी कार्यकलापों को एक कर्मबद्ध पद्धति से शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम को 12वीं योजना के अंत तक समग्र राज्य में कार्यान्वित किया जाएगा।

7. एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत प्रस्तावित निगरानी और समीक्षा तंत्र में जिला और राज्य स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा समितियों की परिकल्पना की गई है। अन्य व्यक्तियों में स्थानीय संसद सदस्य (एम.पी.), विधान सभा के सदस्य (एम.एल.ए.) और विधान परिषद के सदस्य (एम.एल.सी.) जिला स्तर पर समिति के सदस्य होंगे। समिति कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार करेगी।

8. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एन.एल.आर.एम.पी. के अंतर्गत 473.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष

[Dr. Raghuvansh Prasad Singh]

के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 1-2 जिलों में कार्यक्रम को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

[Placed in Library, *See* No. LT 9136/2008]

12.10 hrs.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2007-08), pertaining to the Ministry of Steel*

MR. SPEAKER: Item No. 23—Shri Ram Vilas Paswan. You can lay your statements on the Table.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के अनुसार माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-ए के अनुसरण में कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति की 25वीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

उपरोक्त 25वीं रिपोर्ट लोक सभा तथा राज्य सभा मे दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2007-08 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों की मांग से संबंधित है।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने मंत्रालय के उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में कुल 27 सिफारिशें (6 पैराग्राफ में) की हैं और इनमें सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति को दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जो लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत है। इस अनुलग्नक की सम्पूर्ण विषय वस्तु का वाचन करके मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

*Laid on the Table and also placed in Library, *See* No. LT 9137/2008.

12.11 hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of Standing Committee on Coal and Steel on Review and Performance of Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), pertaining to the Ministry of Steel*

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुसरण में कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थाई समिति (2006-07) की 26वीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

उल्लिखित 26वीं रिपोर्ट 14.5.2007 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दी गई थी। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय के राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल) के निष्पादन की समीक्षा से संबंधित है।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने मंत्रालय के उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में कुल सिफारिशें (6 पैराग्राफ) में की है और इन पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति को दिनांक 13.11.2007 को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जो लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत है। इस अनुलग्नक की सम्पूर्ण विषयवस्तु का वाचन करके मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

12.12 hrs.

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 26th Report of Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2007-08), pertaining to the Ministry of Minority Affairs@

THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI A.R. ANTULAY): Hon. Speaker, Sir, I am laying this statement

*Laid on the Table and also placed in Library, *See* No. LT-9138/2008.

@Laid on the Table and also placed in Library. *See* No. LT-9139/2008.